Code of Conduct / Do's and Don'ts for the Students / Research Scholars at

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, CG

Do's	Don'ts
Use only courteous and polite language and behave with	All shall desist from indulging in violence.
decorum with the faculty, staff, students and guests of the	Shall not talk or act in any manner in a way that would bring disrepute to
University.	the University.
Shall be regular and punctual in attending classes and all	Gathering in groups at roads, entrance, exit and pathways, in front of
activities connected with the University.	Administrative building is strictly prohibited.
Read notices/circulars displayed on the University Notice	• Should not leave the class or attend it late under the pretext of paying fees,
Board/Web site.	visiting the library etc.
Ignorance of not reading any notice/circular thus	Smoking, consumption of any kind of alcoholic drinks/drugs inside the
displayed shall not be accepted as an excuse for failing to	University campus is strictly prohibited.
comply with the directions contained in it.	Damaging the building or any other property of the University, in any
All vehicles should be parked in the allotted place.	way, is strictly prohibited.
While attending University functions,	Indulging in Ragging and Eve Teasing are crimes and strictly prohibited
students/scholars will conduct themselves in such a way as	by an act promulgated by Govt. of India with the penalty of Rs.10,000/-
to bring credit to themselves and to the institution.	and two years imprisonment. If any student indulges in any form of
• The students are expected to take up all assignments, tests	ragging or Eve-Teasing inside the University premises or outside, he/she
and examinations of this University seriously and try to	will be summarily expelled from the University.
perform the best.	Misconduct during examination, production of false information or

- Each student of this University must always possess
 Student Identity Card with his/her photograph affixed on it and duly attested by the Registrar.
- Use the resources of the University namely library, computers, equipments, transport, medical, communications, power, etc judiciously and effectively.
- File any genuine complaints to the concerned authority (Head of the Department /Dean of School) without fear.

- documents for admission purpose and the failure to return materials taken on loan from the University would be seriously dealt with.
- Use of mobile phones/other electronic gadgets such as ipod, iphone, tablets etc. within the classrooms, laboratories, seminar halls and auditoriums is strictly prohibited. Violation of this rule by any student would result in impounding of these devices and strict disciplinary action.
- Students should not involve themselves either directly or indirectly in any form of politics either inside or outside the University during their period of study.

By Order

The Chief Proctor, GGV



गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

क. 2.87.../स्था./प्रशा./०९

बिलासपुर, दिनांकः 08/09/09

प्रति.

समस्त विभागाध्यक्ष / विभागीय अधिकारी, (शैक्षणिक विभाग एवं प्रशासकीय अनुभाग), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः— विश्वविद्यालय परिनियम सहपिठत सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन एवं अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में।

संदर्भ:— विश्वविद्यालय का पत्र क्र. 1100/स्था/प्रशा/09, बिलासपुर दिनॉक 25.03.2009।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों / विभागाध्यक्षगणों को निर्देशित किया गया था कि कार्यालयीन समय में समस्त संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन के अनुक्रम में कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। संदर्भित पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि सेवा संबंधी प्रकरणों पर निर्धारित प्रक्रिया से हटकर अन्यथा, कार्यालयीन समय में अपने कार्यस्थल को छोड़कर, कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर उसके कार्यालय में आकर अनावश्यक बहस कर दबाव डालता है, तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्व आचरण नियमों के तहत कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुये संबंधित नियंत्रक अधिकारी (विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष, जिसके कार्यालय में ऐसा कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है) का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उक्त निर्देशों के बावजूद प्रायः यह देखा गया है कि नियंत्रक अधिकारीगण इस संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

इसी संदर्भ में आपका ध्यान इस संबंध में सुसंगत विश्वविद्यालय / सिविल सेवा आचरण नियमों की ओर आकृष्ट किया जाता है , जो निम्नानुसार है :--

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना समुचित है कि विश्वविद्यालय / सिविल सेवा आचरण, नियमों के अंतर्गत

विश्वविद्यालय का प्रत्येक सेवक :--

अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रुप से सन्निष्ठ एवं प्रतिबद्व रहेगा। (a)

(b) पूर्णतयः कर्तव्य परायण रहेगा।

ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि विश्वविद्यालयीन सेवक के लिए अशोभनीय हो। (c)

अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा। (d)

जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे (e) सौंपे गये कार्य को निपटानें में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा।

ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो। (f)

स्वयं को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जो कि विश्वविद्यालय (g) की सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या जिसमें न्यायालय का अपमान, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीप्त किया जाना अन्तर्गस्त हो।

अपनी सेवा या किसी अन्य विश्वविद्यालय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न (h) तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।

कोई भी विश्वविद्यालय सेवक किसी रेडियों प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण अपने (i) स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार पत्र को दी गई किसी संसूचना में या सार्वजनिक रुप से अभिव्यक्त किसी उद्गार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं कर सकेगा, जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय के किसी प्रचलित या तत्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करता हो।

(j) कोई भी विश्वविद्यालयीन सेवक, विश्वविद्यालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर अथवा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का सदभावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी भी अन्य सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको कि एैसा दस्तावेज या जानकारी देने के लिए वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय/विश्वविद्यालयीन दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से नहीं देगा।

(k) किसी विश्वविद्यालय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसे फाईल के टिप्पणों से उद्दरण देना, जिस तक पहुँच के लिये वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्तिक अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिये रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अंतर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा।

(I) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी ऐसे विश्वविद्यालयीन कार्य के संबंध में जो प्रतिकूल, आलोचना या मानहानिकारक आक्षेप का विषय बन गया हो, निर्दोष सिद्व करने के लिए किसी समाचार माध्यम का सहारा नहीं लेगा।

(m) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक विश्वविद्यालय के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी/अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव न डालेगा और न डलवाने का प्रयास करेगा।

(n) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक किसी वरिष्ठ के विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आदेश की जानबूझकर अनवधानता या अवज्ञा, चाहें वह अकेले के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, नहीं करेगा।

(o) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान या हानि नहीं पहुँचाएगा।

(p) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक बिना अवकाश के आभ्यासिक अनुपस्थिति का कृत्य नहीं करेगा।

(q) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक आभ्यासिक विलंब से उपस्थिति नहीं देगा।

(r) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक विश्वविद्यालय में लागू प्रभावी किसी विधि का आभ्यासिक भंग नहीं करेगा।

(s) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक कार्य के घंटों के दौरान कलहात्मक या विच्छृंखल आचरण या ऐसा कोई कार्य, जिससे अनुशासन भंग होता है, नहीं करेगा।

(t) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक, विश्वविद्यालय की प्रक्रिया के संबंध में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई भी जानकारी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं करेगा, जो कि कर्मचारी को उसके कार्य के अनुक्रम में प्राप्त हो।

(u) कोई भी विश्वविद्यालय सेवक, कार्य के घंटो के दौरान अथवा अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान / विश्वविद्यालय परिसर में मद्यपान नहीं करेगा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

(v) विश्वविद्यालय की सुरक्षा के विरुद्व कोई कार्य नहीं करेगा।

उक्त आचरण नियमों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की

हड़ताल / घेराव / आंदोलन / प्रदर्शन / बंद / नारेबाजी इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

विश्वविद्यालय में छात्र हित सर्वोपिर है तथा प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी / शिक्षक का यह दायित्व है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरुप अध्ययन / अध्यापन एवं अकादिमक गतिविधियों के निरंतर उन्नयन हेतु हर स्तर पर सर्वोत्कृष्ट प्रयास किया जाय। अतः कृपया समस्त विभागाध्यक्षों / विभागीय अधिकारियों से यह अनुरोध है कि वे अपने विभाग / प्रशासनिक अनुभाग में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालयीन समय में उनके लिये निर्धारित पटल पर उनकी उपस्थित सुनिश्चित बनाये रखें तथा किसी भी स्थिति में विभागाध्यक्षों / विभागीय अधिकारियों के नियंत्रण में पदस्थ कोई भी अधिकारी / कर्मचारी कार्यालयीन समय में कार्यालयीन कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी न बने । अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त अधिकारी / कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हों तथा विश्वविद्यालय के सेवा संबंधी आचरण नियमों का पूर्ण प्रतिबद्धता से पालन करें तथा प्रत्येक विभागाध्यक्ष / विभागीय अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ, पदांकित अधिकारी / कर्मचारी से आचरण नियमों का पालन सुनिश्चित करायें। इसी अनुक्रम में समस्त विभागाध्यक्षगणों से अनुरोध है कि प्रतिदिन उपस्थिति पंजी का निरीक्षण करें तथा विलंब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी / कर्मचारी को उपस्थिति पंजी में लाल क्रास का चिन्ह बनाते D:\Adm2009.doc 162

हुये चिन्हांकित किया जाय एवं आभ्यासित रुप से विलंब से कार्यालय आने वाले अधिकारी/कर्मचारी को सेवा आचरण नियमों की अवहेलना के संबंध में अपने स्तर पर स्पष्टीकरण जारी किये जायें तथा सुधार नहीं होने की स्थिति में कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण प्रस्ताव मय अभिलेखों के सक्षम अधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाय।

विभागीय अधिकारीगण भी अपने प्रशासनिक अनुभाग में इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें तथा प्रतिदिन 10.45 से 11.00 बजे पूर्वान्ह तक प्रशासनिक अनुभागों की उपस्थिति पंजी कुलसचिव कार्यालय

में कुलसचिव के अवलोकनार्थ प्रेषित करेगें।

आदेशानुसार

बिलासपुर, दिनॉक ०८/०९/०९

पु.क. 2872/स्था. / प्रशा. / 2009

प्रतिलिपिः

1. कुलपति महोदय के सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

2. संपादक, समस्त स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया इस कार्यालयीन पत्र को आपके लोक प्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में समाचार वृत्त के रुप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

गुरु **घासीदाग्र** विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय

. बिलासपुर -495009 (छ.ग.) 67752-260017 फैक्स : 07752-260154

वेबसाइट : www.ggu.ac.in

7../Estt/Adm/2019



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

A Central University established by the Central Universities Act, 2009 Koni, Bilaspur-495009 (C.G.) Phone 07752-260017, FAX: 07752-260154

Website: www.ggu.ac.in

Bilaspur, Date. 6.5.19..

ORDER

In pursuance of the University Grants Commission letter No. D.O.No.F.91-9/2015 (GS/MHRD) dated 05.08.2016 and in supersession of Order No. 1864/Est./Admn/2017 dated 30.01.2017 and its subsequent orders regarding constitution of committee, Internal Complaints Committee (ICC) of the University, is constituted as below;

01. Prof. Anupama Saxena, Professor, Department of Political Science **Presiding Officer** 02. (i) Dr. Rashmi Agrawal, Associate Professor, Department of Forestry Member

(ii) Dr. Anamika Tiwari, Assistant Professor, Department of Commerce-Member

(iii)Ms. Karuna Verma, Assistant Librarian. Member

(iv)Shri Santosh Kumar Tripathi, Assistant Registrar (Stores) Member

03. (i) Shri Om Prakash Ratnakar, Research Scholer Member

(ii) Ms Manu Singh, PG Student, (Department of Economics) Member

(iii)Ms Minal Sahu, UG Student, (Department of Law) Member

04. Ms Savita Singh, Advocate on Records, Hon'ble Supreme Court Member

The term of office of the members of the Internal Complaints Committee (ICC) shall be for a period of three years, from the date of the notification.

By Order

Registrar (Acting)

Endt No. |2|0 /Est/Adm/2019

Bilaspur, Date: 6-5-19 01.P.S./P.A. to Vice Chancellor/Registrar, for information of the Honble Vice

Chancellor/Registrar.

02. Presiding Officer and Members of the committee for information and necessary actions.

03. All Deans all School of Studies/Heads of All Department/Officers Incharge of all the sections, for information and necessary actions.

04. Finance Officer/Controller of Examinations, for information.

05. DSW/Proctor/Chief Warden for information and necessary actions.

06. Office copy.

Assistant Registrar (Admn)

गुक धारीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

द्रात दिस्तिवासय अधिनाम 2000 से अंतर्गत स्थापित विश्वतिकासय white factories - 405000 (to to) TOTAL 07752-260017 GMH 07752-260154 STREET, NAME AND BOOK



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA ELASPUR IC 51

A Central University established by the Central Universities Act, 2009. Koni, Bilaspur-495009 (C.G.) Phone 01752-260017, FAX: 07752-260154 Website www.ggu.sc.in

का 600 / प्रशा / स्था / २०१७,

विलासपुर, दिनोंक 96-041-2017

आदेश

विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु प्राठ प्रदीप शुनला, आचार्य, इतिहास विभाग, गुख्य कुलानुशासक के स्थान पर आगाभी आवेश पर्यन्त प्रो विशन सिंह राठौड़, आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

आदेशानुसार कुलसचिव (कार्यवाहक)।

पु. क. ७० / प्रशा / स्था. / २०१७.

बिलासपुर, दिनॉक 56-04-201

गुलपति महोदया / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर कुलपति महोदया / क्लसचिव जी के सूचनार्थ।

सगरत अधिष्ठातागण, समस्त अध्ययन शालायें/समस्त विभागाध्यक्ष, रागस्त शैक्षणिक

विगाग / समस्त अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वित्ताधिकारी/आंतरिक अंकेक्षण विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर को सूचनार्थ 03. एव आवश्यक कार्यवाही हेत्।

प्रो० प्रदीप कुमार शुक्ला, आचार्य इतिहास विभाग की ओर सूचनार्थ। 04.

प्रो बिशन सिंह राठौड़, आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निजी नस्ती / कार्यालय प्रति।

म् संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ०ग०) GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 नं. 25 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009) Phone No. 07752-260017, 260435

क्रमॉक 1.829..../स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर, दिनॉक 3 20202

कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु पूर्व में गठित कुलानुशासक मण्डल के स्थान पर निम्नानुसार कुलानुशासक मण्डल का गठन आगामी आदेश तक के लिये किया जाता है :-

01. डॉ0 गौरी त्रिपाठी

कला विद्यापीत

02. श्री भूषण सिंह गौतम

इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी विद्यापीठ

03. डॉ० सागर जायसवाल

विधि विद्यापीत

04. डॉ0 मोनिका भदौरिया

जीव विज्ञान विद्यापीठ

05. डॉ० कुमार आदित्य

प्रबंध एवं वाणिज्य विद्यापीठ

06. डॉ0 धनंजय गोपाल

गणित एवं संगणक विज्ञान विद्यापीठ

07. डॉ0 सुनील कुमार जैन

प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ

08. डॉ0 आशीष कुमार सिंह

भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ

09. डॉ0 रामबाब्

समाज विज्ञान विद्यापीत

10. श्री ओमप्रकाश गंगे

शिक्षा विद्यापीठ

11. श्रीमती अल्का एक्का

अंतर विषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ

आदेशानुसार

कुलसचित्र (कार्यवाहक)

पृ.क..। 🗘 २क्ते. / स्था. / प्रशा. / 2022

प्रतिलिपि

कुलपति महोदय/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव 01. जी के सूचनार्थ प्रेषित।

समस्त अधिष्ठाता / समस्त विभागाध्यक्ष / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / मुख्य कुलानुशासक / मुख्य 02. छात्रावास अधीक्षक / विभागीय अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।

वित्ताधिकारी/आंतरिक अंकेक्षण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ। 03.

संबंधित शिक्षक की ओर सूचनार्थ। 04.

कार्यालय प्रति / निजी नस्ती। 05.

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ०ग०)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009) (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ न. २५ के अन्तर्गत स्थापित) website-www.ggu.ac.in Phone No. 07752-260017

क्रमॉक ७२९ /स्था / प्रशा / 2020

बिलासपुर, दिनॉक 26/2/2020

कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु पूर्व में गठित कुलानुशासक मण्डल के स्थान पर निम्नानुसार कुलानुशासक मण्डल का गठन आगामी आदेश तक के लिये किया जाता है -

शिक्षा विद्यापीट 01. डॉ संजीत सरदार

02. डॉ. भूवना वेंकटरमन प्रबंध एवं वाणिज्य विद्यापीठ

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ 03. डॉ. पंकज गुप्ता,

भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ 04 डॉ अरूण कुमार सिंह,

जीव विज्ञान विद्यापीठ 05 डॉ. देवेन्द्र पटेल.

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ०६ डॉ. एस. किस्पोटटा,

गणितीय एवं संगणक विज्ञान विद्यापीठ 07 डॉ. बी.बी. चतुर्वेदी,

कला विद्यापीट 08. डॉ. आशुतोष सिंह,

विधि विद्यापीठ 09. डॉ. अजय सिंह,

अंतीवेषयक शिक्षा और अनुशंसाधन विद्यापीठ 10. डॉ. रजत पी सिंह.

प्राकृतिक संसाधन विद्यापीट 11 डॉ. ब्रजेन्द्र पी. सिंह,

कुलानुशासक मण्डल में मनोनित उपरोक्त सदस्यगण मुख्य कुलानुशासक के निर्देशन में दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेशानुसार.

कुलसचिवं (कार्यवाहक) बिलासपुर, दिनाँक २६/२/२०२०

पुक्र 7.10 /स्था /प्रशा / 2020 प्रतिलिपि:

- 01 कुलपति महोदया / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर कुलपति महोदया / कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- 02. मुख्य कुलानुशासक एवं कुलानुशासक मण्डल के सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
- 03. समस्त विद्यापीठों के अधिष्ठातागण/समस्त विभागाध्यक्षगण/अधिष्ठाता छात्रकल्याण/समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

Insert

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गतस्थापितविश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260017फैक्स : 07752-260154 वेबसाइट : www.ggu.ac.in



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260017, FAX: 07752-260154
Website: www.ggu.ac.in

S.No. 748./Estt/Adm/2022

Bilaspur, Date 06 . 04,2022

Notification

In continuation to the University notification No. 1708/Estt/Adm/2018 dated 14.06.2018, the Anti Ragging Committee for session for session 2021-2022 is constituted as follows;

1.	Hon'ble Vice Chancellor	-	Patron
2.	Dr. Rajendra Prasad Patel	_	Coordinator
3.	Dr. S.K. Jain	_	Member
4.	Dr. Ashish Kumar Singh	-	Member
5.	Dr. Gauri Tripathi	-	Member
6.	Dr. Anil Kumar Chandrakar	-	Member
7.	Dr. Jai Prakash Jaiswal	-	Member
8.	Dr. Ramesh Kumar Gohe	-	Member
9.	Dr. T.R. Ratre	-	Member
10.	Dr. Subhash Banerjee	-	Member
11.	Dr. Babita Majhi	-	Member
12.	Dr. Sonia Sthapak	-	Member
13.	Dr. Prasenjit Panda	-	Member
14.	Dr. Manorama	-	Member
15.	Dr. KNVV Vara Prasad	-	Member
16.	Dr. Sudhir Yadaw	-	Member
17.	Dr. Gunjan Patil	-	Member
18.	Dr. Dilip Kumar	-	Member
19.	Shri Kailash Kumar Borkar	-	Member
20.	Dr. Kundan Meshram	-	Member
21.	Mrs Alka Ekka	-	Member
22.	Shri Utkarsh Kumar	-	Member
23.	Ms Preeti Singh	-	Member
24.	CSP, City Kotwali, Bilaspur (Ex-officio)	-	Member
25.	SDM, Bilaspur (Ex-officio)	-	Member
26.	Shri Sunil Gupta, Editor, Nai Duniya, Bsp.	-	Member
27.	Shri Shankar Lal Mathur (Parent representative)	-	Member
	F/o Mr Chhayank Mathur		
	B.A. Hon. Pol Sc. 1 st Sem 2021-22		
28.	Shri Rajesh Soni, President, Employee Union	-	Member
29.	One boy Student (securing highest marks in session 2020-21)-	Member
	(To be nominated by Coordinator in consultation with CoE)		

Luvai

30. One girl Student (securing highest marks in session 2020-21)(To be nominated by Coordinator in consultation with CoE)

31. One student from Ph.D.

(securing highest marks in Ph.D. course work session 2020-21)

(To be nominated by Coordinator in consultation with CoE)

By Order
Registrar (Acting)

Endt No. 749 /Est/Adm/2022

Bilaspur, Date: 06.04.2022

Member

- 01. P.S./P.A. to Vice Chancellor/Registrar, for information of the Hon'ble Vice Chancellor/Registrar.
- 02. Coordinator/Members of the Committee for information.
- 03. Finance Officer/Internal Audit Officer, for information.
- 04. All Deans/Heads of All Departments/ Controlling officers, for information.
- 05. OSD/JR/AR, Development, for information.
- 06. Director, IQAC, for information.
- 07. Office file.

Assistant Registrar (Admn)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर — ४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260017 फैक्स : 07752-260154

वेबसाइट : www.ggu.ac.in



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 Koni, Bilaspur-495009 (C.G.) Phone 07752-260017, FAX: 07752-260154

Website: www.ggu.ac.in

S.No. 170 8/Est/Adm/2018

Bilaspur, Dated 12106-2018

Notification

In continuation of University notification No. 1208/Est/Adm/2016 dated 24.11.2016 and order No. 1882/Estt/Adm/2016 dated 24.11.2016, the Anti Ragging Committee fro session 2018-19 is constituted as follows,

1. Hon'ble Vice Chancellor, Prof. Anjila Gupta	_	Patron
2. Dr. A.K Dixit, Asso. Prof., Dept of Botany	-	Coordinator
3. Shri T.R. Ratre, Asstt. Prof., Dept of Economics	-	Member
4. Dr. Mukesh Chandrakar, Asstt. Prof. Dept of Education		Member
5. Dr. S.Y. Khan, Asstt. Prof. Dept of English	-	Member
6. Dr. Ramesh K Gohe, Asstt. Prof., Dept of Hindi	-	Member
7. Shri Pravesh Dalai, Asstt. Prof., Dept of Law	_	Member
8. Dr. S.K. Prajapati, Asstt. Prof., Dept of Botany		Member
9. Dr. Dhananjay Shukla, Asstt. Prof. Dept of Biotechnology	-	Member
10. Dr. Bhawana Dixit, Asstt. Prof., Dept of Forestry	-	Member
11. Dr. Devendra Patel, Asstt. Prof., Dept of Rural Technology	-	Member
12. Dr. Manorama Singh, Asstt. Prof., Dept of Chemistry	-	Member
13. Dr. R.P. Prajapati, Asstt. Prof., Dept of Pure & Applied Physics	-	Member
14. Dr. Vara Prasad, Asstt. Prof. Dept of Pure & Applied Mathematics	-	Member
15. Dr. Shushma Jaiswal, Asstt. Prof., Dept of CSIT	-	Member
16. Dr. Anamika Tiwari, Asstt. Prof., Dept of Commerce	-	Member
17. Dr. B.B. Pandey, Asstt. Prof., Dept of Management Studies	-	Member
18. Smt. Arpita Rai Choudhry, Asstt. Prof., Dept of Inds & Prod Engg	-	Member
19. Shri Amit Baghel, Asstt. Prof., Dept of Comp. Sc. Engg	-	Member
20. CSP, City Kotwali, Bilaspur (Ex-officio)	-	Member
21. SDM, Bilaspur (Ex-officio)	-	Member
22. Shri Vipul Gupta, Editor, Dainik Bhaskar,	-	Member
23. Dr. Shalini Shukla	-	Member
(Parent representative, Pt. Sundarlal Sharma Open University)		
24. Shri Rajesh Soni, President, Employee Union	-	Member
25. Oneboy Student (securing highest marks in session 2017-18)	-	Member
To be nominated by the coordinator in consultation with CoE		

Slewar

26. One girl Student (securing highest marks in session 2017-18)

To be nominated by the coordinator in consultation with CoE

- Member

27. One Student from PhD (securing highest marks in PhD course work session 2017-18) to be nominated by the coordinator in consultation with CoE

- Member

By Order

0.

Endt No./Est/Adm/2018

Registrar (Acting)
Bilaspur, Dated 124 06 2018

- 1. PS/PA to HVC/Registrar for information to Hon'ble VC/Registrar.
- 2. Dr. A.K Dixit, Asso. Prof., Dept of Botany and Coordinator, for information and necessary actions.
- 3. CSP, City Kotwali, Bilaspur, for information.
- 4. SDM, Bilaspur, for information.
- 5. Shri Vipul Gupta, Editor, Dainik Bhaskar, for information.
- 6. Dr. Shalini Shukla, Pt. Sunder Lal Shrama Open University, Bilaspur (C.G.), for information.
- 7. All the committee members, for information and necessary actions.
- 8. All Deans/Head of Departments/Officers, for information.
- 9. Finance Officer/Internal Audit Officer, for information.
- 10. Proctor/DSW/OIC Security, for information
- 11. Chief Warden, Hostels, For information and necessary actions.
- 12. I/c Media Cell for information.
- 13. I/c IT Cell, for information and uploading on website.

14. Office File.

Assistant Registrar (Admin)

यू.जी.शी.-मानव शंशाधन विकास केन्द्र

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

कोनी, बिलासपुर - ४९५००९ (छ.ग.) दूरभाषः 07752-260435, 299388

ई-मेलः directorhrdc@ggu.ac.in, directorhrdcggv@gmail.com, बेबसाईटः https://ggu.ac.in/hrdc.aspx



UGC-Human Resource Development Centre Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No 25 of 2009)

Koni, Bilaspur - 495009 (C.G.) Phone: 07752-260435, 299388

E-Mail: directorhrdc@ggu.ac.in, directorhrdcggv@gmail.com, Website: https://ggu.ac.in/hrdc.aspx

List of Course Conducted

(Year 2021-22)

s.No.	NAME OFCOURSE	PROG.	DURATION	PARTICIPANTS															
		TYPE		MALE							FEMA	LE		TOTAL					
				SC	ST	OBC	GEN	Tot	SC	ST	ОВС	GEN	Tot	SC	ST	OBC	GEN	Tot	
1	3rd GURU-	OP/FIP	16/08/2021																
	DAKSHTA Faculty		to	1	1	1	12	15	0	1	4	8	13	1	2	5	20	28	
	Induction Programme		15/09/2021	1	1	1	12	15	U	1	4	8	13	1	4	3	20	48	
	(FIP)																		
2	4th GURU-	OP/FIP	13/09/2021																
	DAKSHTA Faculty		to	5	2	5	4	16	2	3	3	12	20	7	5	8	16	36	
	Induction Programme		13/10/2021)	2	3	4	10	2	3	3	12	20	/	3	O	10	30	
	(FIP)																		
3	5th GURU-	OP/FIP	10/01/2022																
	DAKSHTA Faculty		to	4	0	8	9	21	1	1	2	11	15	5	1	10	20	36	
	Induction Programme		08/02/2022	4	U	0	9	41	1	1	2	11	15	3	1	10	20	30	
	(FIP)																		
4	Refresher Course on	RC	02/08/2021																
	Recent Advance in		to																
	Life Science for		14/08/2021	5	1	13	6	25	3	0	3	8	14	8	1	16	14	39	
	Sustainable)	1	13	0	45	3	U	3	0	14	O	1	10	14	39	
	Development - (Inter																		
	Disciplinary)																		
5	Refresher Course in	RC	23/08/2021																
	Chemistry - (Subject		to	4	1	10	15	30	4	1	0	5	10	8	2	10	20	40	
	Specific)		04/09/2021																

6	Refresher Course on	RC	23/08/2021															
0		nc																
	Research		to	7	3	10	9	29	2	0	3	6	11	9	3	13	15	40
	Methodology - (Inter		04/09/2021															
	Disciplinary)																	
7	Refresher Course on	RC	13/09/2021															
	Non-linear Analysis		to															
	for the Development		25/09/2021	3	0	3	7	13	0	0	1	7	8	3	0	4	14	21
	of Neural Network					3	,	13			1	,	O	3	U	7	14	21
	Systems - (Subject																	
	Specific)																	
8	Refresher Course on	RC	20/09/2021															
	ICT for Teaching-		to															
	Learning and		04/10/2021	1	2	4	11	18	1	0	3	5	9	2	2	7	16	27
	Research in Higher			1	2	4	11	10	1	U	3	3	9	4	4	/	10	21
	Education - (Inter																	
	Disciplinary)																	
9	Refresher Course on	RC	06/12/2021															
	Post 1950s Literature		to	2	1	2	8	14	3	2	3		14	6	3	5	14	28
	in English: Text and		18/12/2021	3	1	2	8	14	3	2	3	6	14	0	3	5	14	48
	Context																	
10	Refresher Course on	RC	10/01/2022															
	Changing Trends in		to	4	0	8	7	19	3	0	4	6	13	7	0	12	13	32
	Historical Writing		22/01/2022															
11	Refresher Course on	RC	10/01/2022															
	Yoga: Health,		to	_		0	10	40						_		4.4	4.0	2.4
	Fitness, Wellness &		22/01/2022	5	2	9	12	28	0	0	2	4	6	5	2	11	16	34
	First Aid																	
12	Refresher Course on	RC	10/01/2022															
	Global		to															
	Transformation in		22/01/2022				1.4	20		1	2	4	10		2	0	10	20
	Consumerism : E-			0	2	6	14	22	2	1	3	4	10	2	3	9	18	32
	commerce & E-																	
	Learning																	
13	Refresher Course on	RC	21/02/2022	4	4	1.0		2.4	_	1	_	~	10	0		1.	10	2=
	Emerging Challenges		to	4	1	12	7	24	4	1	3	5	13	8	2	15	12	37

	in Indian Economy		05/03/2022															
14	Short Term Course on Disaster Management	STC	13/09/2021 to 18/09/2021	3	0	10	16	29	0	0	1	6	7	3	0	11	22	36
15	Short Term Course on Thematic Popularization of NEP 2020	STC	29/10/2021 to 29/10/2021	3	0	0	32	35	0	0	0	9	9	3	0	0	41	44
16	Short Term Course on Research Methodology	STC	06/12/2021 to 11/12/2021	4	2	5	5	16	4	0	3	3	10	8	2	8	8	26
17	Workshop on MOOCs, Online Courses & Open Educational Resources	Workshop	14/03/2022 to 21/03/2022	8	0	7	23	38	2	0	1	6	9	10	0	8	29	47
17	YEAR WISE TOTAL			64	18	113	197	392	31	10	39	111	191	95	28	152	308	583

Source: Registration/Online

(Dr. Ashutosh Singh)

Asst. Director

(Dr. Ratnesh Singh)
Director